न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 137/2015 दायरा दिनांक : 07.12.2015

उनवान

मथुरालाल पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– देवीलाल पुत्र पुत्र नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

2– बजे सिंह पुत्र नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

3– रामसिंह पुत्र नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

4– सुजान सिंह पुत्र नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

5– शेरा बाई पुत्री नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

6– दया बाई पुत्री नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

7– देवलाल पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

8– रतनलाल पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

9– रामचन्द्र पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

10– प्रभूलाल पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

11– रोशन पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

12– पूरीलाल पुत्र रामचन्द्र दत्तक पुत्र गंगाराम, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

13– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 138 / 2015 दायरा दिनांक : 07.12.2015

उनवान

मथुरालाल पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– देवीलाल पुत्र पुत्र नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

2– बजे सिंह पुत्र नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

3– रामसिंह पुत्र नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

(... लोढ़ा)
... अधिकारी
एवं
पदेन ... अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

4– सुजान सिंह पुत्र नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

5– शेरा बाई पुत्री नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

6– दया बाई पुत्री नन्दा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

7– देवलाल पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

8– रतनलाल पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

9– रामचन्द्र पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

10– प्रभूलाल पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

11– रोशन पुत्र बिरधा, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

12– पूरीलाल पुत्र रामचन्द्र दत्तक पुत्र गंगाराम, जाति भील ठाकुर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

13– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री अरूण कुमार जैन एवं अमर सिंह लववंशी अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री महेश पाटीदार अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

अधिकारी
एवं
अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 07.01.2021

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, असनावर के प्रकरण संख्या – 67/2014 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2015 व अंतिम डिक्री दिनांक 15.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 137/2015 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट के द्वारा एक वाद अर्न्तगत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसे दौराने वाद दिनांक 17.06.2015 को राजस्व लोक अदकालत केम्प जूनाखेडा में रखा गया और प्राथमिक डिकी व निर्णय दिनांक 17.06.2015 को पारित कर दिया, जिसकी अप्रसन्नता से अपीलांट ने यह अपील पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय की डिकी व निर्णय पत्रावली विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर लोक अदालत दिनांक 17.06.2015 को अपीलांट को सूचना दिये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिकी एक तरफा पारित किया है । ग्राम अमरपुरा तहसील असनावर जिला झालावाड में 15 किता की 18 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित है । गंगाराम पुत्र किशोर (कुंवारा) ने अपने जीवनकाल में पूरीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति भील ठाकुर निवासी कंवरपुरा की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर दिनांक 15.04.85 को उसे जाति बिरादरी वालों के सामने अपनी गोदी में बिठाकर अपना दत्तक पुत्र बनाया और नारियल पताशे आदि समाज वालों को वितरित किये । इस प्रकार से पूरीलाल मृतक गंगाराम का दत्तक पुत्र बनाया गया । तत्पश्चात दिनांक 04.10.94 को गंगाराम का स्वर्गवास हो गया ।

(महिन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

गंगाराम के जीवनकाल से ही उसके 1/3 हिस्से की आराजीयात को पूरीलाल ही निरन्तर एवं निर्बाध रूप से सबकी जानकारी में काश्त करता चला आ रहा है और वर्तमान में भी काश्त कर रहा है जिसकी जानकारी सभी पक्षकारों को है । अनुसूचित जनजाति में महिलाओं पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई हक व अधिकार अपने पिता की सम्पत्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न कर त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा निर्णय एवं डिक्री को निरस्त फरमाया जावे ।

अपील संख्या 138/2015 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट के द्वारा एक वाद अर्न्तगत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसे दौराने वाद दिनांक 17.06.2015 को राजस्व लोक अदकालत केम्प जूनाखेडा में रखा गया और प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 17.06.2015 को पारित कर दिया, जिसकी अप्रसन्नता से अपीलांट ने यह अपील पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री व निर्णय पत्रावली विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर लोक अदालत दिनांक 17.06.2015 को अपीलांट को सूचना दिये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री एक तरफा पारित किया है । ग्राम अमरपुरा तहसील असनावर जिला झालावाड में 15 किता की 18 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित है । गंगाराम पुत्र किशोर (कुंवारा) ने अपने जीवनकाल में पूरीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति भील ठाकुर निवासी कंवरपुरा की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर दिनांक 15.04.85 को उसे जाति बिरादरी वालों के सामने अपनी गोदी में बिठाकर अपना दत्तक पुत्र बनाया और नारियल पताशे आदि समाज वालों को वितरित किये । इस प्रकार से पूरीलाल मृतक गंगाराम का दत्तक पुत्र बनाया गया । तत्पश्चात दिनांक 04.10.94 को गंगाराम का स्वर्गवास हो गया । गंगाराम के जीवनकाल से ही उसके 1/3 हिस्से की आराजीयात को

(कार्लेन्द्र लोढा)
पू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
सदस्य राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पूरीलाल ही निरन्तर एवं निर्बाध रूप से सबकी जानकारी में काश्त करता चला आ रहा है और वर्तमान में भी काश्त कर रहा है जिसकी जानकारी सभी पक्षकारों को है । अनुसूचित जनजाति में महिलाओं पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई हक व अधिकार अपने पिता की सम्पत्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न कर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार को प्रेषित किये गये आदेश के तहत तहसीलदार ने मौके पर पेपर पार्टीशन करने से पूर्व पक्षकारों को न तो तलब किया और ना ही किसी प्रकार से उन्हें सूचित किया इस प्रकार से पक्षकारान के पेपर पार्टीशन पर हस्ताक्षर नहीं है इस कारण से उक्त फाईनल डिक्री निरस्तनीय है । पेपर पार्टीशन करते समय तहसीलदार को मौके पर उपस्थित रहना चाहिए और प्रत्येक सहखातेदार के पेपर पार्टीशन पर हस्ताक्षर करवाकर लाल स्याही से बाउण्ड्री बनाकर अंकित करना चाहिए जो कि उक्त प्रकरण में नहीं किया है इस कारण से फाईनल डिक्री निरस्तनीय है । राजस्थान टीनेन्स एक्ट की धारा 184 में कब्जा देने का समय 15 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ही अंकित किया गया है जबकि उक्त प्रकरण में फाईनल डिक्री दिनांक 15.07.2015 को जारी की गई है इस कारण से रेस्पोडेंट को उक्त आराजी पर कानूनन कब्जा नहीं दिया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री अपास्त की जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.11.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बिरधा, नन्दा, गंगाराम, किशोर के लड़के थे । गंगाराम कंवारा था, गंगाराम ने पूरीलाल पुत्र रामचन्द्र को गोद लिया । वाद में गंगाराम को पक्षकार नहीं बनाया । अपीलांट को प्रोपर तामील नहीं हुई है । गंगाराम के वारिस को रेस्पोडेंट बनाया । 1/2 के स्थान पर 1/3 हिस्सा होना चाहिए । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रिकोर्ड के अनुसार निर्णय पारित करें ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आदेश का अवलोकन किया गया । पत्रावली में दिनांक 28.04.2015 को प्रतिवादियों को राजस्व लोक अदालत केम्प जूनाखेड़ा में दिनांक 17.06.2015 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया । दिनांक 17.06.2015 को आदेश में प्रतिवादीगणों की केम्प में उपस्थिति बाबत कोई सम्मन नोटिस पत्रावली में सलंग्न नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण की तलबी ही नहीं की गई । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिवत राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की गई है, त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं ।

(अहेकर आदि)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 137/2015 एवं 138/2015 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2015 व अंतिम डिक्री दिनांक 15.07.2015 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करे एवं प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सी पी सी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.04.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा